

क्रमांक:प.16(1)वि.मा./2023

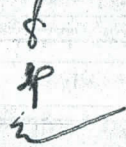
जयपुर, दिनांक 1 मई, 20223

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(2)(3)पंचा/रानिआ/2022/1199 दिनांक 06.04.2023 द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के उप-चुनाव माह अप्रैल-मई, 2023 के संलग्न सूची अनुसार कार्यक्रम की घोषणा की गई है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों एवं पंचों के मतदान की तिथि दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को घोषित की गई है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के मतदान की तिथि दिनांक 07.05.2023 (रविवार) को (संलग्न सूची अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से,



(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ. 7(2)(3)/पंचा/रानिआ/2022/1524

दिनांक: 01/05/2023

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग